THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The loss sustained is as under :

| | |
|---|---|
| During 1968 | Nill. |
| in 1969 | Rs. 8700/- |
| and in 1970 | Rs. 6,70,139.50 |

(b) The loss could not be recovered. No steps were taken by the Government to recover the loss.

**Retail Price of Steel**

51. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) the retail price of steel during 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) the factors responsible for the increase or decrease in the retail steel price ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) There are no 'wholesale' or 'retail' prices for steel. The following table, however, shows the Joint Plant Committee and Hindustan Steel Limited stockyard base prices for some important categories of steel at the beginning and at the end of the financial year 1969-70. The latter prices still hold good.

TABLE

(Rs. per tonne)

| | J. P. C. prices | | H.S.L. stockyard prices | |
|---|---|---|---|---|
| | 1-4-69 | 31-3-70 | 1-4-69 | 31-3-70 |
| Bars and Rods (excluding flats) 14 mm and below | 810 | 877 | 875 | 977 |
| Joists | 889 | 977 | 964 | 1117 |
| Plates | 989 | 1092 | 1064 | 1342 |
| Billets | 659 | 721 | 709 | 821 |
| B. R. Coils (14G and thicker) (Tested) | 999 | 1102 | 1099 | 1372 |
| C. R. Sheets (14G and thinner) (Tested) | 1324 | 1427 | 1424 | 1800 |
| G.C./G.P. Sheets (Tested) | 1804 | 1866 | 1954 | 2146 |
| Skelp | 1009 | 1112 | 1084 | 1242 |

(b) Joint Plant Committee prices were revised upwards by an average of Rs. 77.50 per tonne with effect from 1-1-70 mainly to compensate the producers for cost escalations. Hindustan Steel Limited stockyard prices include a stockyard margin over and above Joint Plant Committee prices to cover stockyard expenses. The stockyard margins were revised upwards from the midnight of 10th/11th December, 1969 due to increase in costs and to mop up the margins available in the market.

**बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों पर कथित बलात् कब्जा**

52. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि तथा न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के विगत मध्यावधि चुनाव के दौरान, बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए चौदले ने समाज विरोधी तत्वों और सशस्त्र अपराधियों की सहायता से अनेक मतदान बूथों पर बलात् कब्जा कर लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था और उन्हें प्रोत्साहन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की

जांच करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) केवल एक मतदान केन्द्र अर्थात् बिहार राज्य में 32 बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 189 बरौनी सभा वाले भाग में सं० 7 (अपर प्राइमरी स्कूल, हाजीपुर) के मामले में मतदान के दौरान 5-3-71 को अस्त्रों से लैस एक समूह मतदान केन्द्र में घुस गया, और उसने रिवालवर और पाइपगन से पीठासीन आफिसर और मतदान आफिसरों को धमकाया तथा कुछ मतपत्रों को बलपूर्वक उठा लिया, उनको चिह्नित किया तथा उन्हें मतपेटी में डाल दिया। जैसे ही इस घटना के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर को रिपोर्ट प्राप्त हुई, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के अधीन उस मतदान केन्द्र का मतदान शून्य घोषित कर दिया और नए सिरे से मतदान करने का आदेश दिया जो 7-3-71 को हुआ।

(ख) और (ग). ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने अस्त्रों से लैस समूह की उपर्युक्त कार्रवाई में उसका समर्थन किया तथा उसे उत्साहित किया। आयोग का यह विचार नहीं है कि इस घटना की जांच कराना आवश्यक है क्योंकि वह प्रथम मतदान को शून्य घोषित करने तथा नए सिरे से मतदान कराने का आदेश देने की आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर चुका है जैसा कि विधि के अधीन उपबन्धित है।

(घ) आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि भावी निर्वाचनों में इस खतरे पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।

**मध्यावधि चुनावों के दौरान बिहार में पोलिंग बूथों पर हुई घटनायें**

53. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि तथा न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में बिहार के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने की कई घटनायें हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार ऐसे पोलिंग बूथों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग के आश्वासन के बावजूद कई निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग को बिहार राज्य के सम्बद्ध रिटर्निंग आफिसरों से इस प्रकार की रिपोर्टें मिली कि 42 मामलों में मतदान केन्द्रों पर उद्दंड गिरोहों ने या तो बलपूर्वक अधिकार कर लिया या वे मतदान केन्द्रों से मत पेटियां उठा ले गए। आयोग ने इन सब मामलों में फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या LT 54/71]

(ग) से (ङ). निर्वाचन आयोग को कुछ